न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/78/2024	2024/70	16.12.2024	17.01.2025

1. मजलस पुत्र चुरमल्ली खान जाति मेव निवासी ग्राम दौगडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2. रूजदार पुत्र अकबर जाति मेंव निवासी ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
3. उन्नस पुत्र अकबर जाति मेंव निवासी ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्टान

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास
नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 23.11.2024
ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास
जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुधीर कुमार, दिनेश शर्मा – वकील अपीलान्टान

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 569 निर्णय दिनांक 23.11.2024 ग्राम बेंडा का बास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 1160 रकबा 0.5200 है0 का 21/41 भाग वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी मुलाफीरसिंह उर्फ मुसाफिर सिंह पुत्र जीउसिंह जाति लबाणा सिंख निवासी ए–168–169 पोस्ट ऑफिस राजौरी गार्डन, रधुवीर नगर, टेगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली 110027, महेन्द्रसिंह उर्फ मोहिन्दरजीत सिंह पुत्र जिओसिंह उर्फ जीउसिंह जाति लबानासिख निवासी 168–169 रधुवीर नगर, टेगोर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, रिछपालसिंह उर्फ जसपालसिंह पुत्र जीउसिंह उर्फ जीवनसिंह जाति लबानासिख निवासी 168–169 जे.जे.कॉलोनी, रधुवीर नगर टेगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, मुलाफीरसिंह, महेन्द्रसिंह, रिछपालसिंह ने उक्त आराजी खसरा न0 1160 रकबा 0.5200 है0 का 21/41 भाग वाके ग्राम बेडा का बास का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि प्राप्त कर मिन अपीलान्टान को बेचान कर दिया जो बैयनामा तहरीर दिनांक 16.10.2024 व तस्दीक दिनाक 16.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 615 में पृष्ठ संख्या 199 क्रंम संख्या 202403359101913 पर पंजिबद्व किया गया। बाद खरीद मिन अपीलान्टान उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन अपीलान्टान का वास्तविक कब्जा है। बैयनामा तस्दीक होने के बाद मिन अपीलान्टान द्वारा असल बैयनामा वास्ते दर्ज कराने नामान्तकरण पटवारी हल्का खानपुर मेवान को दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 569 दिनाक 25.10.2024 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार

अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

किशनगढबास को भेजा जिस पर बेजा रूप से दिनाक 23.11.2024 को यह दर्ज करते हुऐ खारिज कर दिया गया कि Mutabik Patwari Report And Mismatch And Multiple Name of Decoument Mutation is Not Acceptable तहत अदालत द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया गया मिन अपीलान्टान द्वारा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गयी है, तथा बैयनामा के आधार पर स्वयं ऑटो मेटीक बैयनामा के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज व मंजूर होना चाहिऐ लेकिन तहसीलदार व उपपंजियक किशनगढबास द्वारा बैयनामा के तुरन्त बाद शूमोओटोमेटीक नामान्तकरण दर्ज नही किया गया तथा उसके बाद भी बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही कर अहम गलती की है, ऐसा कोई दस्तावेज की आवश्यकता नही थी, जो मिसमैच होता। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.11.2024 नामान्तकरण संख्या 569 वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 1160 रकबा 0.5200 है0 का 21/41 भाग वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी मुलाफीरसिंह उर्फ मुसाफिर सिंह पुत्र जीउसिंह जाति लबाणा सिंख निवासी ए–168–169 पोस्ट ऑफिस राजौरी गार्डन, रधुवीर नगर, टेगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली 110027, महेन्द्रसिंह उर्फ मोहिन्दरजीत सिंह पुत्र जिओसिंह उर्फ जीउसिंह जाति लबानासिख निवासी 168–169 रधुवीर नगर, टेगोर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, रिछपालसिंह उर्फ जसपालसिंह पुत्र जीउसिंह उर्फ जीवनसिंह जाति लबानासिख निवासी 168–169 जे. जे.कॉलोनी, रधुवीर नगर टेगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, मुलाफीरसिंह, महेन्द्रसिंह, रिछपालसिंह ने उक्त आराजी खसरा न0 1160 रकबा 0.5200 है0 का 21/41 भाग वाके ग्राम बेडा का बास का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि प्राप्त कर मिन अपीलान्टान को बेचान कर दिया जो बैयनामा तहरीर दिनाक 16.10.2024 व तस्दीक दिनाक 16.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 615 में पृष्ठ संख्या 199 क्रमं संख्या 202403359101913 पर पंजिबद्व किया गया। बाद खरीद मिन अपीलान्टान उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन अपीलान्टान का वास्तविक कब्जा है। बैयनामा तस्दीक होने के बाद मिन अपीलान्टान द्वारा असल बैयनामा वास्ते दर्ज कराने नामान्तकरण पटवारी हल्का खानपुर मेवान को दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 569 दिनाक 25.10.2024 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेजा जिस पर बेजा रूप से दिनाक 23.11.2024 को यह दर्ज करते हुऐ खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित खातेदारान कमशः महेन्द्रसिंह पुत्र जीउसिंह, रिछपालसिंह पुत्र जीउसिंह व मुलाफीरसिंह के द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का जर्ये बयनामा बेचान किया गया है, किन्तु बयनामा में विक्रेताओ के नाम भिन्न है, इस बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नही किये है, ऐसी स्थिति तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.11.2024 नामान्तकरण संख्या 569 ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा